

:: कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ0ग0) ::
संशोधित विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक /2020,

कोण्डागांव, दिनांक 19 05.2020

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि 30 जून 2020 के कार्यालयीन समय तक
कौशल परीक्षा की तिथि को प्रातः बजे से
कौशल परीक्षा का स्थान- कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव

कोण्डागांव सिविल जिला स्थापना में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पद की भर्ती किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. चौकीदार 04 पद
02. वाटरमेन 04 पद
03. स्वीपर 04 पद

उक्त पद हेतु मानदेय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।

योग्यता -

01. न्यूनतम पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।
02. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी।
03. आवेदक बस्तर संभाग का स्थानीय निवासी हो।
04. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं दिव्यांगों को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी:-
 - (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
 - (ii) महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
 - (iii) दिव्यांगों हेतु 10 वर्ष
 - (iv) स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छुट के अतिरिक्त 05 वर्ष परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

शर्तें -

01. यह कि आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
02. यह कि आवेदक का एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।
03. यह कि आवेदक किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
04. यह कि आवेदक किसी नैतिक दृष्टता हेतु आपराधी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

अनुमादित
15/5/20

05. यह कि आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।
06. यह कि आवेदक टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा-जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5 वीं प्रमाण पत्र), जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद "आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद (पद नाम नाम).....के पद हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
07. यह कि विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
08. यह कि बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र भी निरस्त माने जावेंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा।
09. यह कि आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आवेदक के नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
10. यह कि नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों की छटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।
11. यह कि नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/चयन समिति द्वारा संपन्न की जावेगी। इस कमेटी/चयन समिति को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त आवेदकों की छटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रातांक के आधार पर प्रारंभिक छटाई की जा सकेगी।
12. यह कि किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
13. यह कि कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
14. यह कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
15. यह कि विज्ञापित बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगी।
16. यह कि प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण

जानकारी भरें। यदि आवेदनपत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदन को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

17. यह कि जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
18. यह कि आवेदनों की छंटाई पश्चात् आवेदकों का रोल नंबर आबंटित किया जाकर जिला न्यायालय कोण्डागांव के वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा जिसमें आवेदकों का नाम, आबंटित रोल नंबर, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची कौशल परीक्षा की तिथि, समय व स्थान की जानकारी उपलब्ध की जावेगी।
19. यह कि चयन परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
20. यह कि अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के अंतर्गत उनकी शारिरीक क्षमता, सौंपे गये कार्यों को करने की समझ, बागवानी, साफ-सफाई, घरेलू कार्य इत्यादि बातों को करने की योग्यता के संबंध में परखा जावेगा।
21. यह कि नियुक्ति के बाद कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यर्थियों को कार्यालय के सफाई, बागवानी, शौंचालय की साफ-सफाई घरेलू कार्य हेतु किसी भी अभ्यर्थी की ड्युटी लगाई जा सकती है।

टीप:- उक्त पद हेतु अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जावेगा।

अन्य शर्तें -

01. किसी आवेदक द्वारा मिथ्या जानकारी देना पाये जाने पर उसे कौशल परीक्षा के लिये अपात्र घोषित किया जावेगा।
02. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।
03. बस्तर संभाग के बाहर के अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
04. अभ्यर्थी आवेदन के साथ 10/- डाक टिकट लगा 02 कोरा लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

उक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार दिनांक ~~30.06.2020~~ के 5.00 बजे सायं तक अपने प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति के साथ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भर्ती में कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। भर्ती से संबंधित विज्ञापन एवं नियम व शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव के कार्यालय वेबसाइट [www.districts.ecourts.gov.in/ kondagaon](http://www.districts.ecourts.gov.in/kondagaon) पर भी देखा जा सकता है।

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद चौकीदार/वाटरमेन/स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
का

01. आवेदित पद का नाम :
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
03. लिंग (पुरुष/ महिला) :
04. पिता / पति का नाम :
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
- (ब) स्थायी पता :
06. (अ) जन्म तिथि अंको में :
- शब्दों में :
- (ब) दिनांक को आयु: वर्ष, माह, दिन
07. क्या आवेदक सिविल जिला कोण्डागांव: का मूल निवासी है ? हां/ नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
08. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग.के लिए घोषित अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
09. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/..... अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/ नहीं:
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? :
- हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित :
- पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो)

14. रोजगार कार्यालय का नाम :
15. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं :
16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि:
17. जीवित बच्चों की संख्या :

क्र.	बच्चे का नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4
1.			
2.			

18. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय :

... संस्था में सेवारत हैं ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

20. आवेदक का मोबाईल नं./ई-मेल आईडी0

(यदि हो तो) मो0नं0 ई-मेल आईडी0.

21. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-

1. 2.
3. 4.

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता